

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 198/2026

Certified that the **Mds English School** at **NH 8 Ghasipura, Shahpura, Rajasthan- 303103** (address) comprised of **0** basement(s) and **G+3** (upper floors) owned/ occupied by **Mds English** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **10/08/2026** (date of inspection) in the presence of **Mohan Lal Baliwal** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes **XII ( X/ XII)** With effect from 10/08/2026 for a period of **01 year** in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा एएमसी. करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सी भवन के समी टावर में टावर कि लंबाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Issued on 10/08/2026(Date of issue) at Jaipur (Place) by \*Strike out whichever is not applicable.

*verified on behalf of fire NOC and Physical verification of the premises on 10/08/2026*

Signature with Seal: .....

Name: ..... *Devang Yadav* .....

Designation: ..... *Fire Officer* .....

Name & Address of Department/ Office: *Nagar. Nigam*

*Jaipur Greater.*

To

Mds English Academy

NH 8 Ghasipura, Shahpura,

Rajasthan -303103

(Name & Address of the Institution)

*देवेंद्र यादव*  
अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम प्रेटर, जयपुर

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to.....(reasons to be recorded). (Name and designation of the authorized signatory)